संजीव भट्ट को ईमानदारी और लगन से कर्तव्यों का पालन करने की मिली है सज़ा

जनचौक ब्यूरो

(पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट को 30 साल पुराने एक केस में आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसी मसले पर उनकी पत्नी श्वेता भट्ट ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने लोगों से इस कठिन मौके पर साथ खड़े होने की अपील की है। इसके साथ ही इस पोस्ट में जिस मामले में भट्ट को सजा हुई है उस केस का पूरा विवरण दिया गया है।)

सेशन कोर्ट ने बृहस्पतिवार को संजीव को एक ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी जिसको उन्होंने किया ही नहीं था। आप सभी लोगों को जो एक स्तंभ के तौर पर संजीव के साथ खड़े हुए- आपके सहयोग के शब्द सुकून देने वाले और उत्साहित करने वाले हैं लेकिन किसी शब्द के एक्शन से जुड़े बगैर उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपके समर्थन का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि एक इंसान के साथ आप वो त्रासदी होने देते हैं जिसने कुछ नहीं किया बल्कि पूरी तन्मयता से अपने लोगों और अपने देश की सेवा की है।

आईपीएस एसोसिएशन के लिए- आज तुम्हारा अपना एक आईपीएस अफसर ईमानदार होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तुम उसके साथ नहीं खड़े हुए....तुमने उसकी रक्षा नहीं की। वह लगातार इस प्रतिशोधी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। सवाल यह है कि तुम किस हद तक इस चुप्पी को बनाए रखोगे और मूक दर्शक बनकर देखते रहोगे? हम एक राष्ट्र के तौर पर एक बेहद स्याह दौर से गुजर रहे हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अब केवल यही देखना बाकी रह गया है कि क्या हम यह लड़ाई तनहा लड़ेंगे? या फिर इस संप्रभु लोकतंत्र के लोग उस एक इंसान के लिए खड़े होंगे जिसने उनके लिए कभी भी लड़ाई नहीं रोकी।

बिहार में एलके आडवाणी की रथयात्रा के रोके जाने और उनकी गिरफ्तारी के बाद 24 अक्तूबर 1990 को जामनगर शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगा फूट पड़ा। उस समय संजीव भट्ट जामनगर ग्रामीण डिवीजन के एएसपी के पद पर तैनात थे। उस समय जामनगर जिला तीन पुलिस डिविजनों- जामनगर सिटी, जामनगर ग्रामीण और खंभालिया में विभाजित था। खंभालिया के डिप्टी एसपी के बीमारी के चलते छुट्टी पर चले जाने के बाद उनकी गैरमौजूगी में 16 अक्तूबर 1990 से उनका भी अतिरिक्त कार्यभार संजीव भट्ट को सौंप दिया गया था। जामनगर जिले में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे की शुरूआत होने के दिन 24 अक्तूबर 1990 को आईपीएस प्रवीन गोंदिया भी अवकाश पर चले गए। जिसके बाद तत्काल संजीव भट्ट को जामनगर शहर डिवीजन का भी अतिरिक्त चार्ज लेने के लिए कहा गया। और इस तरह से पूरे जिल में बंदोबस्त की तैयारी, उसको लागू करना तथा सुपरवाइज करने समेत सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गयी। इस तरह से 24 अक्तूबर, 1990 को संजीव भट्ट आधिकारिक तौर पर पूरे जामनगर जिले के इंचार्ज बन गए थे। और अपनी सूझ-बूझ और क्षमता से शहर के सांप्रदायिक दंगे को बेहद कारगर तरीके से काबू कर लिया।

विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 30 अक्तूबर, 1990 को भारत बंद का एक आह्वान किया गया था। 30 अक्तूबर के इस बंद के दिन पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे की आशंका थी। और सांप्रदायिक रूप से सभी संवेदनशील राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। जामनगर में 30 अक्तूबर को दंगा शुरू होने के बाद कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मामलातदार और जामजोधपुर के एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने तुरंत पूरे शहर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। अभी जब कि कर्फ्यू को लागू किया जाना था पूरा शहर अपराधियों की हिंसक गिरफ्त में आ गया था। जिनका काम निशानदेही कर हिंसा करना था। जिसमें जामजोधपुर के अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, संस्थानों और संपत्तियों की लूट और उनसे मारपीट शामिल थी। और इस तरह से पूरे शहर में आतंक फैल गया था।

संजीव भट्ट की पहली प्राथमिकता दंगाई भीड़ को शांत करना था और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू कारगर तरीके से लागू हो इसको सुनिश्चित करना था। राज्य के पैमाने पर बहुत सारी हिंसक घटनाओं को हैंडल करने और कर्फ्यू को सुनिश्चित करने के बाद श्री संजीव भट्ट 30 अक्तूबर, 1990 को दिन में 1.30 बजे जामजोधपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। जहां उन्हें सीपीआई भनवाद द्वारा यह सूचना दी गयी

कि कुल 133 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जिसमें मृतक प्रभुदास माधवजी वैष्णानी भी शामिल थे। ये सारी गिरफ्तारियां पीएसआई जामजोधपुर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस द्वारा सांप्रदायिक दंगों, लूट और मारपीट से जुड़ी 15 अलग-अलग घटनास्थलों से की गयी थीं। इन सभी को एक समान धाराओं सीआर नंबर- 96/90 आईपीसी के सेक्शन, 147, 148, 336, 337, 395, 436, 151, 327, 452, 454, 455, टाडा एक्ट के सेक्शन-3-6 और बांबे पुलिस एक्ट के सेक्शन 135 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

मृतक प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की गिरफ्तारी संजीव भट्ट और उनके स्टाफ के पुलिस स्टेशन पहुंचने से घंटों पहले के.एन. पटेल, सीपीआई, भवनाद, पीएसआई ठाकोर और महाशंकर जोशी की एक टीम ने कर ली थी। हालांकि मृतक और उसके भाई समेत 133 लोगों को सांप्रदायिक दंगे और मारपीट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। संजीव भट्ट अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ शहर के दूसरे हिस्सों में 9.30 से 12.15 के बीच दंगाई भीड़ से निपटने का काम कर रहे थे।

किसी भी बिंदु पर मृतक और उसके भाई समेत गिरफ्तार 133 लोग संजीव भट्ट या फिर उनके स्टाफ की कस्टडी में नहीं थे। उनमें से किसी से संजीव भट्ट या फिर उनके स्टाफ के किसी सदस्य ने कोई पूछताछ नहीं की।

वीएचपी और बीजेपी के एक सक्रिय सदस्य अमृतलाल माधवजी वैष्णानी द्वारा की गयी शिकायत में संजीव भट्ट पर ये झूठे आरोप लगाए गए कि गिरफ्तार दंगाइयों से हिरासत में उठक-बैठक करवाई गयी और पुलिस स्टेशन के पास एक खुले चौक पर उन्हें रखा गया। यहां यह बात नोट की जानी चाहिए कि 31 अक्तूबर, 1990 को स्थानीय पुलिस द्वारा सबसे पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के पहले तक टार्चर या फिर किसी तरह के कष्ट की शिकायत मृतक या फिर गिरफ्तार 133 दंगाइयों में से किसी ने नहीं की थी। मजिस्ट्रेट के आदेश पर मृतक प्रभुदास माधवजी वैष्णानी समेत सभी 133 दंगाइयों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। जहां वे सभी 8 नवंबर 1990 तक रहे। यहां तक कि प्रभुदास माधवजी वैष्णानी समेत किसी भी दंगाई ने जमानत पर छूटने के बाद भी किसी तरह के टार्चर, प्रताड़ना आदि की शिकायत नहीं की।

12 नवंबर 1990 को प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें पहले जामनगर फिर राजकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी श्री संजीव भट्ट के खिलाफ किसी तरह की शिकायत या फिर आरोप नहीं दर्ज किए गए। 18 नवंबर 1990 को राजकोट में इलाज के दौरान श्री वैष्णानी की मौत हो गयी। प्रभुदास माधवजी वैष्णानी का हास्पिटल रिकार्ड और उनकी फोरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया गया है कि उनके शरीर के अंदर या फिर बाहर किसी भी तरह की चोट या टार्चर का कोई संकेत नहीं है। न ही उसकी कोई शिकायत है। श्री प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की मौत के बाद हिरासत में टार्चर की शिकायत उनके भाई अमृत लाल माधवजी वैष्णानी ने करायी जो खुद वीएचपी और बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं।

30 अक्तूबर, 1990 को जब सांप्रदायिक दंगा फूटा और उसी के साथ प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की गिरफ्तारी हुई वह जामगनर में संजीव भट्ट की पोस्टिंग का महज 20वां दिन था। उन्हें गिरफ्तार लोगों में से किसी के बारे में नहीं पता था। किसी के खिलाफ किसी तरह के द्वेष का होना तो बहुत दूर की बात है।

संजीव भट्ट के खिलाफ शिकायत का दर्ज होना राजनीतिक बदले की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि उस समय के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को 1 नवंबर, 1990 को गुजरात विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना था। और वह बीजेपी और कांग्रेस के पटेल विधायकों के समर्थन को सुनिश्चित करना चाहते थे। संजीव भट्ट द्वारा दंगाइयों के खिलाफ दायर टाडा की धारा को हटाने से मना करना, जहां गिरफ्तार लोगों में बहुमत पटेलों का था मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल और गृहमंत्री नरहरि अमीन की तौहीन मानी गयी। संयोग से दोनों खुद पटेल समुदाय थे।

पुलिस विभाग और गृह विभाग में संजीव भट्ट के वरिष्ठ इस बात को पूरी तरह से जानते थे कि पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए श्री भट्ट को गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह से गुजरात सरकार के गृह विभाग ने गुजरात सरकार के 9 जनवरी 1991 को पारित प्रस्ताव नंबर एमआईएस/1090/6152-B के तहत लीगल सहयोग मुहैया कराने का फैसला किया। सीआईडी द्वारा की गयी जांच में यह पाया गया कि संजीव भट्ट के खिलाफ किसी तरह का प्रमाण नहीं है। उसके आधार पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी।

यह बिल्कुल रहस्यमय बात है कि एक मौत जो कस्टडी से बाहर आने के 18 दिन बाद होती है, उसमें किसी भी तरह की बाहरी या भीतरी चोट का का कोई संकेत नहीं था, एक मौत जिसकी फोरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञों ने जांच की थी और उन्हें किसी भी तरह का टार्चर या फिर शिकायत का संकेत नहीं मिला था उसे गैरइरादतन हत्या का मामला घोषित कर दिया गया।

ईमानदार अफसर संजीव भट्ट समेत उनके स्टाफ की प्रतिशोधपूर्ण सजा का इससे नंगा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों ने सांप्रदायिक दंगों के सबसे कठिन समय में अपने कर्तव्यों को अभूतपूर्व और बेहद अनुकरणीय तरीके से निभाया था।

हासिल होने पर हम आदेश की पूरी गहराई से छानबीन करेंगे और हम उसे उचित फोरम पर चुनौती देंगे। यहां केवल न्याय को नहीं नकारा गया है बल्कि एक निर्दोष शख्स को इसलिए सजा दी गयी है कि उसने पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन किया था।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मोदी सरकार द्वारा अफ़सरशाही में बिना परीक्षा सीधी भर्ती

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 16-22 जून 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व साहित्यिक मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित जन विरोधी व शोषणकारी प्रशासन व्यवस्था को ज्यों की त्यों अपना लिया, जो आज भी लागू है। पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिये हर जायज-नाजायज निर्देशों को लागू करने के लिये तैयार रहती है तथा आम लोगों को उनके अत्याचार व जुल्म का शिकार होना पड़ता है और भारतीय पुलिस उनसे अमानवीय व्यवहार करती है। जो भी साहस करके सरकार की जन विरोधी नीतियों की कमियों को उजागर करता है या आलोचना करता है उसे सरकार व व्यवस्था के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार पुलिस जनता की रक्षक होने की अपेक्षा भक्षक बनी हुई है।

पुलिसवालों की दबंगई इतनी बढ गई है कि वे पत्रकारों के साथ भी अमानवीयता और गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। कठुआ कांड में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और नृशंस हत्या में पुलिसवालों के शामिल होने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में पटरी से उतरी मालगाड़ी की कवरेज करने गए पत्रकार अमित शर्मा को जीआरपी पुलिस खींचकर ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया, जहां पुलिस ने न केवल पीटा बल्कि नंगा करके उनके मुंह में पेशाब भी कर दिया।

यूपी की योगी पुलिस ने पत्रकार प्रशान्त कनोजिया को गिरफ़्तारी के नियमों को दरकिनार करते हुए गिरफ़्तार करके दिल्ली से लखनऊ ले गई जहां थाने में उन पर मानहानि, अफवाह फ़ैलाने आदि की धाराओं में एफ़आईआर दर्ज कर जेल भेज दिया। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने पत्रकार को जमानत पर रिहाई के आदेश जारी करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कायम किया गया मुकदमा चलता रहेगा।

आदिवासियों के विरुद्ध लिखने और सरकार का विरोध करने के लिये बिहार के पत्रकार रूपेश कुमार सिंह व उनके दो साथियों मिथलेश कुमार सिंह और मुहम्मद कलाम को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु एक दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उक्त तीन हार्डकोर नक्सली को शेरघाटी-डोभी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। गौरतलब है कि आदिवासियों के शोषण को उजागर करने और अदालत में उनके मामलों की पैरवी करने पर प्रोफ़ेसर सुधा भारद्वाज तथा कुछ अन्य लेखक, पत्रकार व समाजसेवी को नक्सली बताकर व उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल रखा है।

छत्तीसगढ में बिजली कटौती को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले

वर्तमान दौर में मीडिया पर कॉरपोरेट घरानों का नियंत्रण हो चुका है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व मोदी सरकार के विरुद्ध किसी विरोधी स्वर को बर्दास्त नहीं कर रहा। अगर कोई साहसी पत्रकार अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए भाजपा व मोदी व मोदी सरकार की नीतियों अथवा कार्यों की आलोचना करता है तो उसे गैर कानूनी ढंग से गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जहां उसे पुलिस की यातना का शिकार होना पड़ता है और कइयों पर तो राजद्रोह का भी आरोप लगा दिया जाता है जिसके कारण उन्हें अदालतों में लम्बे समय तक मुकदमों का सामना करना पड़ता है, जिसका 'भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकार के मुंह में येगी के दरोगा ने किया पेशाब', 'सुप्रीम कोर्ट की अधूरी कवायद: पत्रकार कनोजिया रिहा, अपहरणकर्ता पुलिस पर चुप्पी', 'पत्रकार रूपेश की गिरफ़्तारी पर चुप्पी क्षेत्रीय पत्रकारिता को नुकसान पहुंचाएगी' तथा 'बिजली कटौती की अफवाह फ़ैलाने के नाम पर देश में पहली बार दर्ज हुआ राजद्रोह का मुकदमा' के जरिए पर्दाफ़ाश किया गया।

में बिजली कंपनी की शिकायत पर आरोपी मांगे लाल को गिरफ़्तार करके उसके विरुद्ध राजद्रोह व सरकार के खिलाफ़ दुष्प्रचार की धाराओं के तहत कार्यवाई की गई। मांगे लाल ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ की सरकार की एक इन्वर्टर कंपनी से सेटिंग हो गई है, जिसके लिये सरकार को पैसा दिया गया है। सम्भवत: छत्तीसगढ देश का पहला राज्य है जहां सरकार के खिलाफ़ बोलने पर ऐसी कार्यवाही की गई है।

इस प्रकार पुलिस देश भर में गुंडागर्दी करके जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, जिनमें मुश्किल से कोई इक्का-दुक्का केस ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंच पाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में न्याय के प्रति ईमानदार है तो वह पुलिस व आदेश देनेवाले उच्चाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाए।

कुछ वर्ष पहले भी फ़रीदाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में एक किडनी कांड सामने आया था जिसमें बल्लबगढ के डॉ. समेत कई लोग शामिल थे, जिनके तार विदेश से जुड़े हुए थे। अब लखीमपुर खीरी के एक व्यक्ति के शिकायत पर पुलिस तफ़तीश के दौरान इस क्षेत्र में एक और किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है जिसके तार स्थानीय फ़ोर्टिस एस्कॉर्ट, अस्पताल तक जुड़े हुए हैं, जिसका 'किडनी रैकेट में फ़ोर्टिस कर्मचारी गिरफ़्तार, बड़े मगरमच्छ कब होंगे' में विवेचन किया गया है। इस मामले में अस्पताल की कॉर्डिनेटर सोनिका डबास की गिरफ़्तारी कर ली गई है, परंतु मोटा माल कमाने वाले कॉरपोरेट अस्पताल व बिचौलिये पर अभी तक हाथ नहीं डाला गया है।

एक समाचार के अनुसार ज़िले के पांच बड़े निजी अस्पतालों को अंग प्रत्यारोपण करने की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन इनमें से किसी भी अस्पताल में एक साल में आंतरिक कमेटी का गठन ही नहीं किया गया है क्योंकि आंतरिक कमेटी का गठन तभी होता है जब उक्त अस्पताल में एक साल में 25 से अधिक अंग प्रत्यारोपण होते हों। विडम्बना है कि ज़िला स्तर कमेटी अपनी गलती छुपाने के लिये निजी अस्पतालों से पिछले तीन साल से आंतरिक कमेटी का डाटा मांग रही है।

केन्द्र में मोदी सरकार व हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की मिलीभगत से रामदेव के पतंजलि समूह के फ़रीदाबाद में अरावली क्षेत्र में 400 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है तथा इस मामले में हर्बो वेद इंडिया का नाम भी आया है जिसके नाम से 100 से अधिक कंपनियां इंटरनेट पर मौजूद है। बताया जाता है कि ये सारी कंपनियां शेल कंपनियां या फ़र्जी कंपनियां है, जिनके जरिए काले धन को सफ़ेद करने का धंधा चल रहा है। इस सारे गोरखधंधे का 'रामदेव का अरावली फ्रॉड-ठग गुरू रामदेव की गिद्ध नज़र अरावली की ज़मीन पर-पतंजलि से जुड़ी कंपनियों की जांच क्यों नहीं होती' के जरिए कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

आश्चर्य है कि काला धन व शेल कंपनियों के खिलाफ़ मुहिम चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पतंजलि समूह के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेगुलेटर एफ़एसएसएआई पतंजलि के तमाम उत्पाद के नमूनों के टेस्ट की जांच रिपोर्ट देने से इन्कार कर रही है। गौरतलब है कि नेपाल में पतंजलि के 6 उत्पाद में मिलावट पाए जाने पर वहां उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

'हम नहीं सुधरेंगे: वामपंथियों की दिवालिया नीति' के जरिए वामपंथ के पतन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सटीक विश्लेष्ण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के फ़ासीवाद से लड़ने की बजाए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कैडर ने पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी को हराने के लिये भाजपा के उम्मीदवारों का समर्थन किया। गौरतलब है कि शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस सरकारों को प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन देती रही हैं, परंतु जब आरएसएस व भाजपा के विरुद्ध संघर्ष के लिए फैसलाकुन समय आया तो इन्होंने अपनी डफली अलग बजानी शुरू कर दी। निस्संदेह, कम्युनिस्ट पार्टियों की नीतियों ने देश में भाजपा की जड़े मजबूत करने में अच्छी भूमिका निभाई है।

मोदी सरकार द्वारा अफ़सरशाही में बिना परीक्षा सीधी भर्ती करने पर 'इंटरव्यू बोर्ड-अच्छा तो यह बताइये-आप कितने साल से भक्त हैं?' तथा भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर व उषा ठाकुर द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नात्थू राम गोडसे को राष्ट्रवादी बताने पर 'आखिर भाजपा के दिल में है क्या... ? नात्थू राम गोडसे' कार्टूनों द्वारा उपयुक्त तंज कसा गया है।

भाजपा लगातार कहती रही कि कांग्रेस व कम्युनिस्टों की धर्म निरपेक्षता क्षद्म है और वह ही सकारात्मक धर्म निरपेक्षता लाएगी। 'मुखौटा नहीं मूल्य है धर्म निरपेक्षता' के माध्यम से धर्म निरपेक्षता के वास्तविक मर्म को समझाया गया है। भाजपा नेताओं ने संवैधानिक मूल्यों की परवाह किए बिना मतदाताओं का धार्मिक ध्रुवीकरण करने में कभी हिचक नहीं दिखाई। एसआर बोम्बई (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म निरपेक्षता लाकतांत्रिक सरकार के सफल कामकाज के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म की अनुपालना का अधिकार है, और राज्य के सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र गौतम अडानी को छत्तीसगढ के बस्तर में लौह खनन के लिए एक पहाड़ दिया था जिस पर लाखों पेड़ हैं। अडानी ने बैलाडीला पहाड़ में दो हजार से ज़्यादा पेड़ काट डाले हैं! जो अपके बच्चों की मौत की तैयारी कर रहा है उसे आप खेर खवाह समझते हैं' तथा कविता 'उफ्फ!' के जरिए बस्तर में लौह खनन पेड़ों की कटाई के दुष्परिणामों व उसके विरुद्ध आदिवासियों के संघर्ष की चर्चा की गई है। आदिवासियों के कड़े प्रतिरोध के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अडानी की इस परियोजना पर रोक लगा दी है।